डेटा पॉइंट: न्याय में देरी का गणित

संदर्भ

वर्तमान में भारत की निचली अदालतों में लगभग तीन करोड़ (2,91,63,220) मामले लंबित हैं। न्यायाधीशों की उच्च रिक्तियों तथा आबादी की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या वाले राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक है।

//

- **लंबित मामलों का ब्योरा (14 दिसंबर, 2018 का आँकड़ा) इस प्रकार है-**

♦ कुल सिविल मामले= 84,57,325
♦ कुल क्रिमिनल मामले= 2,07,05,895
♦ 1 वर्ष से अधिक पुराने कुल मामले= 2,12,26,105

- नीचे दिया गया ग्राफ 'प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की संख्या' तथा 'प्रति लाख न्यायाधीशों की संख्या' के बीच आरेखित है।

दृष्टि The Vision

- **कम न्यायाधीश, ज़्यादा लंबति मामले**

♦ उत्तर प्रदेश, पश्चमि बंगाल, बहिार, ओडशिा, तमलिनाडु, राजस्थान और केरल ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या तथा लंबति मामले सीधे जुड़े हुए हैं। अर्थात् ऐसे राज्यों में लंबति मामलों की संख्या अधकि होने का मुख्य कारण न्यायाधीशों की संख्या कम होना है। उत्तर प्रदेश में प्रत िन्यायाधीश लगभग 3,500 मामले लंबति हैं।

- **ज़्यादा न्यायाधीश, कम लंबति मामले**

♦ पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सक्किमि और मज़िोरम ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या तथा लंबति मामले सीधे जुड़े हुए हैं। अर्थात् ऐसे राज्यों में लंबति मामलों की संख्या कम होने का मुख्य कारण न्यायाधीशों की संख्या अधकि होना है।

- दल्लिी, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या अधकि होने के बावजूद लंबति मामलों की संख्या ज़्यादा है।

- जबकि मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम होने के बावजूद लंबित मामलों की संख्या कम है।

स्रोत- द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/data-point-justice-delayed